इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 21/06/2017 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में नवाब यूसुफ रोड से पानी टंकी नगर निगम कार्यालय तक 04 बांस बल्ली का टट्टर, 01 तखत, 01 ठेला, 02 भटठी ध्वस्त किया गया।
नगर निगम द्वारा रूपया 3200 का जुर्माना भी वसूला गया।

इस कार्यवाही में मजिस्टेट, क्षेत्राधिकारी, नगर निगम से जोनल अधिकारी नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल मौजूदा रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 01 चालान 07 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–02 व 04 के नेतृत्व में 04 चालान 11 नोटिस निर्गत की गयी तथा 01 शमन मानचित्र दाखिल।

जोन संख्या–03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत,शुक्ला के नेतृत्व में 03 चालान 14 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 01 चालान 01 नोटिस निर्गत की गयी।

इस प्रकार कुल 09 चालान 33 नोटिस निर्गत की गयी तथा 01 शमन मानचित्र दाखिल।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

21.06.17
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क